

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश

संख्या

/ दस-लाइसेंस-58 / देशी शराब- थोक नियमावली / 2018-2019
इलाहाबाद, मार्च, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, सन् 1910) की धारा 24 और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 31276/दस-लाइसेंस-58/2002-2003, दिनांक 26 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक, बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक, बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (दशम् संशोधन)नियमावली, 2018

1-संक्षिप्त नाम व प्रारंभ 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (दशम् संशोधन)नियमावली, 2018 कही जायेगी ।

(2) यह नियमावली दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी।

नियम- 2, परिभाषायें

जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,

- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;
- (ख) "देशी शराब" में ऐसी अल्कोहलीय सान्द्रता वाली तनु या तीव्र देशी स्प्रिट भी सम्मिलित है, जैसी समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय;
- (ग) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;
- (घ) "परिवार" का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्रों, अविवाहित पुत्रियों से है और इसमें आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं;
- (ङ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;
- (च) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त से है;
- (छ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा-24 के अधीन देशी शराब के बिक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने के प्रतिफल से है जो लाइसेंसधारी द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसी कि राज्य सरकार की स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाय;
- (ज) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य उस धनराशि से है जो व्याज मुक्त प्रतिभूति के रूप में अधिमानतः ई-भुगतान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी। प्रतिभूति धनराशि लाइसेंस फीस का दस प्रतिशत होगी;
- (झ) निकाल दिया गया।
- (ञ) "भागीदारी फर्म" का तात्पर्य भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पंजीकृत फर्म से है;

- (ट) "व्यक्ति " का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये आवेदन करने के समय पर इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;
- (ठ) "कम्पनी" का तात्पर्य भारतीय कम्पनी अधिनियम,1965 की धारा 12 के अधीन पंजीकृत किसी कम्पनी से है;
- (ड) निकाल दिया गया ।
- (ढ) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य देशी शराब के आष्टिमम रिटेल प्राइस को पाँच रूपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है जो, आसवनी स्तर पर देय होगी। आसवनी द्वारा थोक आपूर्तक से एकस डिस्टलरी प्राइस के अतिरिक्त वसूलनीय होगी एवं जो थोक आपूर्तक द्वारा देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापी से अधिकतम थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी;
- (च)"पोर्टल" का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से लेकर इसके वितरण के अन्तिम अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड करने के प्रयोजन से है;
- (छ) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य थोक अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है;

3-लाइसेंस की अवधि

लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है,होगी, किन्तु अनुज्ञापन अनुज्ञापी की इच्छा पर अगले वर्ष के लिये ऐसे निबन्धन और शर्तों जैसा राज्य सरकार विनिश्चित करें पर नवीनीकरण अथवा विस्तारित किया जा सकेगा ।

नियम-4-लाइसेंस की स्वीकृति

- (1) देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस, आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत ऐसे अधिकारी, जो इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस की अपेक्षित धनराशि से अन्यून कुल मालियत के ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा लाइसेंस फीस के भुगतान और अधिमानतः ई-भुगतान प्लेटफार्म के माध्यम से प्रतिभूति धनराशि के जमा करने पर प्रत्येक जिले में प्रपत्र सी0एल0-2 में आवेदक के आवेदन करने पर प्रदान किया जायेगा ।
- (2) लाइसेंसधारी को, किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस अन्तरित करने या शिकमी किराये पर देने की अनुमति न होगी ।

नियम 5-लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन पत्र

लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन आबकारी आयुक्त द्वारा इस प्रयोजनार्थ विहित प्रारूप में अधिमानतः आन लाइन किया जायेगा ।

नियम- 6, अनुज्ञापन हेतु पात्रता

- (1)देशी शराब के थोक बिक्रय की दुकानों के लिये प्रत्येक जिला के लिये देशी शराब उत्पादक आसवनियों को दिया जा सकेगा ।
- (2) देशी शराब के थोक बिक्रय की दुकानों के लिये प्रत्येक जिला के लिये एक या एक से अधिक संख्या में निम्नलिखित को भी दिया जा सकेगा:-
- (क) भारत का नागरिक हों,
अथवा
भागीदारी वाली फर्म, जिसमें दो से अधिक भागीदार न हो, जों भारत के नागरिक हों,

- (3) निकाल दिया गया है ।
- (4) लाइसेंस प्रदान किये जाने के पश्चात् भागीदार में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, परन्तु यदि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो, तो उसकी मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी यदि पात्र हो, लाइसेंस की

शेष अवधि के लिये अनुज्ञापिधारी बने रह सकते हैं। यदि संयुक्त रूप से दो भागीदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक उत्तराधिकारी, यदि पात्र हो, के साथ अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं या दोनों भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके उत्तराधिकारी, यदि पात्र हो, अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं। दो भागीदारों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनों सम्मिलित रूप से तथा अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।

- (5) आवेदक आबकारी राजस्व का बकायेदार या काली सूची में सम्मिलित न हो या अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो।
- (6) आवेदक राज्य में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर तथा माडल शाप की फुटकर बिक्री की दुकानों का कोई अनुज्ञापन नहीं रखता हो।
- (7) आवेदक को निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अर्थात् :-
- (एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा उस स्थान पर किराये पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।
- (दो) यह कि उसके दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
- (तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों और आसवनी के प्रबन्धकों/निदेशकों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्राप्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।
- (चार) यह कि अनुज्ञापि के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला जहाँ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।
- (पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो, जैसा कि उपरोक्त उपखण्ड (तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला है। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से प्राधिकृत बिक्रेता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(छः) यह कि उस पर कोई लोक देयता या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।

(सात) यह कि वह ऋणशोधनक्षम है, और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

नियम-7, लाइसेंस का जारी किया जाना-

लाइसेंस जिलावार सी0एल0-2 प्रपत्र में होंगे और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि अदा करने पर देय होंगे।

नियम-8, देशी शराब की आपूर्ति

लाइसेंसधारी देशी शराब की आपूर्ति आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड लगी विहित धारिता की बोतलों में देशी शराब के अनुज्ञापित निर्माता आसवनियों से आबकारी शुल्क या ऐसे अन्य शुल्कों, करो या उपकरो जो समय-समय पर उदग्रहणीय हो, के अग्रिम रूप से ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान के पश्चात् प्राप्त करेगा।

उत्तर प्रदेश की आसवनियों से मदिरा प्राप्ति की कठिनाई की स्थिति में यह अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त, उ०प्र० की विशेष अनुमति से राज्य के बाहर की आसवनियों से प्रतिफल फीस का पूर्ण भुगतान करके देशी मदिरा आयात कर सकेगा।
ऐसा अनुज्ञापिधारी आयातित देशी मदिरा की बोतलों पर आबकारी विभाग, उ०प्र० द्वारा अनुमोदित सुरक्षा प्रणाली के अनुप्रयोग के अनुसार सुरक्षा कोड चस्पा करने के उपरान्त बिक्री करेगा।

नियम-9, अनुज्ञापनों की प्रास्थिति-

थोक विक्रय के अनुज्ञापन जनपद के मुख्यालय या सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक के मुख्यालय पर स्थित आबकारी विभाग के गोदाम में या जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित परिसर में खोले जायेंगे जो समय-समय पर यथासंशोधित "उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या व स्थिति नियमावली-1968" के प्राविधानों के अनुसार होगा।

नियम-10, देशी शराब का बिक्री हेतु पंजिकाओं का रखरखाव

प्रपत्र सी०एल०-2 में थोक विक्रय का अनुज्ञापी, अपनी लाइसेंस की शर्तों के अधीन रहते हुए देशी शराब का विक्रय-

- (एक) जिले के देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापियों को,
(दो) प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से, प्रभार के अन्य जिलों के फुटकर अनुज्ञापियों को,
(तीन) जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से संबंधित जोन के और आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से प्रदेश के अन्य जिलों के फुटकर अनुज्ञापियों को करने के हकदार होंगे।
(चार) अनुज्ञापी, पंजिका, पास बुक, स्टाक रजिस्टर और अन्य अभिलेखों को इलेक्ट्रानिक फार्मेट में आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश आबकारी आनलाइन पोर्टल पर रख-रखाव करेगा और लाइसेंस प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रानिक फार्मेट में मांगे जाने वाली समस्त सूचनाओं और विवरणों को विहित समय सीमा के भीतर उपलब्ध करायेगा।
(पाँच) फुटकर विक्रेता द्वारा सभी शुल्कों, करों और उपकरों को सम्मिलित करते हुए देशी शराब के मूल्य अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा मूल्य के साथ प्रस्तुत किये गये मांग-पत्र के प्राप्त होने पर थोक विक्रेता अनुज्ञापी के मांग-पत्रों पर उसके प्राप्त होने का दिनांक और समय अंकित करेगा और मांग-पत्र प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर देशी शराब जारी करने के लिए बाध्य होगा। उपरोक्तानुसार फुटकर अनुज्ञापी को आपूर्ति करने में विफल रहने की दशा में सम्बन्धित थोक विक्रेता अनुज्ञापी की प्रतिभूति धनराशि समपहृत किये जाने और उसका लाइसेन्स निरस्त किये जाने योग्य होगा। लाइसेन्स निरस्त किये जाने की स्थिति में उसे ब्लैक लिस्ट किया जायेगा तथा उसे अन्य आबकारी अनुज्ञापनों के धारण किये जाने से विवर्जित किया जायेगा।
(छ) आसवनियों से थोक विक्रय दुकान को समस्त आपूर्ति आबकारी आयुक्त द्वारा इस प्रयोजनार्थ विहित इलेक्ट्रानिक जनित परिवहन पास के माध्यम से होगी। अनुज्ञापी द्वारा प्राप्ति और सम्भरण की सभी प्रविष्टियां इस प्रयोजनार्थ विहित अभिलेखों में अंकित की जायेगी।
(सात) थोक विक्रय दुकान से प्रतिदिन दी गयी निकासी की प्रविष्टियां आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में अंकित की जायेगी।
(आठ) प्रतिदिन के प्रारम्भिक अवशेष का लेखा, प्राप्ति, योग, बिक्री तथा दिन के समापन अवशेष का सारांश इलेक्ट्रानिक फार्मेट आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में अनुरक्षित किया जायेगा तथा उत्तर प्रदेश आबकारी आन लाईन पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा।
(नौ) विहित तीव्रता, आयतन, ब्राण्ड एवं पैकेजिंग के प्रकार (ग्लास/पेट बोतल) की देशी शराब की बिक्री आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार सुरक्षा कोड लगी बोतलों में उसी हालत में की जायेगी जैसा कि आसवनी से प्राप्त की गयी हो।

नियम-11-मदिरा की निकासी और परिवहन पास-

- (एक) थोक विक्रय की दुकान से देशी शराब प्राप्त करने वाली फुटकर दुकानों की समस्त निकासी की सम्यक प्रविष्टि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित फुटकर विक्रेता के पास बुकों में की जानी चाहिए। पास बुक में की गई प्रविष्टि को थोक अनुज्ञापी द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत विक्रेता जिनका सम्यक रूप से अनुमोदन जिला आबकारी

अधिकारी द्वारा किया गया हो, के द्वारा अंकित व हस्ताक्षरित की जायेगी। थोक अनुज्ञापी देशी शराब के परिवहन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में **कम्प्यूटर जनित** परिवहन पास तैयार करेगा तथा **उत्तर प्रदेश आबकारी आनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा**। परिवहन पास की प्रथम प्रति देशी शराब के क्रेता अनुज्ञापी को देगा और दूसरी प्रति सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को **नवीनतम चौबीस घण्टे** के अन्दर उपलब्ध करायेगा। परिवहन पास की तीसरी प्रति थोक अनुज्ञापी अपने अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगा।

(दो) अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित दैनिक दुकानवार रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित प्रारूप में मांग पत्रों और कुल निकासी का सामयिक विवरण जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित करेगा। प्रभार अथवा जोन के **अन्य जिलों के फुटकर अनुज्ञापियों** को निकासी देने के मामलों में उपर्युक्त विवरण की प्रति सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को उसी दिन भेजेगा और उसकी रसीद प्राप्त करेगा **तथा उसे उत्तर प्रदेश आबकारी आनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। लाइसेंसधारी अभिलेखों में प्रविष्टियों को मिटाने के लिये अधिलेखन तथा सुधारात्मक द्रव्य का प्रयोग नहीं करेगा।**

नियम-12, निरीक्षण-

कोई आबकारी अधिकारी जो आबकारी निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो, को जब कभी वह थोक विक्रय की दुकान का निरीक्षण करें, लेखों का परीक्षण करने और देशी शराब के स्टॉक की जाँच करने के लिये प्रत्येक सुविधा दी जायेगी।

नियम-13 अधिकतम फुटकर मूल्य-

आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, देशी शराब की बोतलों के अधिकतम थोक विक्रय मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। अनुज्ञापी फुटकर विक्रेताओं से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य प्रभावित नहीं करेगा।

नियम-14, अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का उत्तरदायित्व-

थोक अनुज्ञापी स्वयं या उसके विक्रेता द्वारा **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से** लेखों, पंजिकाओं व अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता व प्रमाणिकता के लिये पूर्णतः उत्तरदायी होगा और वह त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के कारण हुई राजस्व की क्षति की भरपाई के लिये उत्तरदायी होगा।

नियम-15 मदिरा का संचय और निषेध-

- (क) थोक अनुज्ञापी देशी शराब का संचय केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा।
- (ख) थोक विक्रय अनुज्ञापी को देशी मदिरा को तनु, ब्लेन्ड या रंजित करने अथवा कोई रंजक, सुगंध या **सुरक्षा कोड** अपने अनुज्ञापित परिसर में रखने की अनुमति नहीं है।
- (ग) लाइसेंस का संचालन अनुज्ञापी द्वारा स्वयं अथवा अपने **प्राधिकृत विक्रेता जिसका सम्यक रूप से अनुमोदन जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किया गया हो, के माध्यम से किया जायेगा**। अनुज्ञापी या उसके प्राधिकृत विक्रेता द्वारा इस नियमावली के उल्लंघन अथवा अनियमितता के लिये उत्तरदायी होगा।

नियम-16, निलम्बन, निरस्तीकरण और शास्तियां-

- (1) लाइसेंस प्राधिकारी अनुज्ञापन को निलम्बित या निरस्त कर सकता है और प्रतिभूति धनराशि को समपहृत कर सकता है-
- (क) यदि अनुज्ञापित परिसर में देशी शराब की कोई बोतल या पात्र पायी जाये जिसपर आबकारी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिसपर **आबकारी विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार सुरक्षा कोड नहीं लगा है।**
- (ख) यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक औषधि पायी जाती है जिसके लिये कोई अनुज्ञापन या लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है।

- (ग) यदि अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापियों से लिया जाता है।
- (घ) यदि अनुज्ञापित परिसर में अनधिकृत रूप से कोई स्प्रिट, रंग, एसेन्स या सुरक्षा कोड निर्माण करने वाले यंत्र आदि पाया जाता है।
- (ङ) यदि अनुज्ञापी द्वारा अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण अथवा कपटपूर्ण प्रविष्टियां की गयी है जिससे परिणामस्वरूप राजस्व की क्षति हुई है।
- (च) यदि यह प्रमाण मिलता है कि थोक लाइसेंस को-शिकमी किरायेदारी (Sublet) पर या अंतरित किया गया है।
- (छ) यदि अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध अनुज्ञापी के कब्जे में कोई मदिरा या मादक औषधि पायी जाती है।
- (ज) यदि अनुज्ञापी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ-पत्र असत्य पाया जाता है या आवेदन-पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है।
- (झ) यदि यह पाया जाता है कि अनुज्ञापन फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या अनुज्ञापी किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अनुज्ञापन धारण किये हुये है।
- (त) यदि अनुज्ञापी मांग की गई तीव्रता, मात्रा, ब्राण्ड व पैकेजिंग के अनुसार, मूल्य सहित, जिसमें अभिकर व अन्य शुल्क व उदग्रहित कर सम्मिलित हैं, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा कर मांग पत्र प्राप्त होने के 48 घण्टे के अन्दर देशी शराब की आपूर्ति करने में विफल रहता है।
- (थ) यदि अनुज्ञापी अनुज्ञा-पत्र में उल्लिखित किसी शर्त का उल्लंघन करता है।
- (2) उप खण्ड-1 में उल्लिखित अनियमितताओं के पाये जाने के मामले में, लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल लाइसेंस को निलम्बित कर देगा और लाइसेंस को रद्द किये जाने तथा प्रतिभूति धनराशि को समपहृत करने के लिये कारण बताओं नोटिस जारी करेगा। आपत्तियों पर विचार करने और लाइसेंस को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर यदि चाहे प्रदान करते हुये लाइसेंस प्राधिकारी उपयुक्त आदेश, जैसा वह ठीक समझे पारित करेगा।
- (3) लाइसेंस प्राधिकारी उप नियम-(2) की प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् अनुज्ञापी द्वारा या उसके विक्रेता द्वारा की गयी किसी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि या अनियमितताओं के द्वारा हुये आबकारी राजस्व की क्षति की प्रतिपूर्ति भी अनुज्ञापी से वसूल करेगा।

नियम-17, विखण्डन एवं अपवाद-

- (1) समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब थोक बिक्री दुकान का व्यवस्थापन) नियमावली, एतद्वारा विखण्डित की जाती है।
- (2) ऐसे विखण्डन के होते हुये भी उप नियम(1) में निर्दिष्ट नियम के उपबन्धों के अधीन देशी शराब के ऐसे थोक लाइसेंसों के लिये वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिये पहले से निष्पादित व्यवस्थापन विधिमाम्य रहेगा और 31 मार्च, 2002 तक लागू रहेगा।

प्रपत्र दे0श10-2
जिला में देशी शराब की थोक बिक्री हेतु अनुज्ञापन
(नियम-2(ङ))

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो
---------------	------------------

अनुज्ञप्त परिसर का फोटो

सी0एल0-2 गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....

1-अनुज्ञापन संख्या.....

2-जिला.....

3-अनुज्ञापनधारी का नाम व पूरा पता एवं आधार नम्बर

4- सी0एल0-2 अनुज्ञापन की संख्या

और तिथि.....

5-अनुज्ञापन शुल्क (रूपये में).....(अंक में).....(शब्द में)

6-प्रतिभूति जमा (रूपये में).....(अंक में).....(शब्द में)

7-अनुज्ञप्त परिसर का विवरण

स्थान और मकान संख्या.....

पुलिस थाना.....तहसील.....

उत्तर.....दक्षिण.....

पूरब.....पश्चिम.....

8-प्राधिकृत विक्रेता/विक्रेताओं के नाम, पता तथा आधार संख्या

1.

2.

3.

4.

25 प्रतिशत वी/वी की सादा एवं मसालेदार देशी शराब की 200मि0ली0 क्षमता की बोतलों में, 36 प्रतिशत वी/वी की मसालेदार देशी शराब की 200 मि0ली0 क्षमता की बोतलों में, तथा 42.8 प्रतिशत वी/वी की तीव्र मसालेदार देशी शराब की 200 मि0ली0 क्षमता की बोतलों में थोक बिक्री के लिये लाइसेंस, जिला.....में.....
.....(स्थान) पुलिस थानातहसील.....के लिये दिनांकसे 31 मार्च, 20.....
तक के लिये, जिसके लिये नियम-7 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारक (लाइसेंसधारकों) को स्वीकृत किया जाता है।

यह अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित निबन्धन व शर्तों के अधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा नियम-16 में प्राविधानों का उल्लंघन करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक औषधि एवं

मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने पर **अनुज्ञापी का अनुज्ञा-पत्र** निरस्त कर दिया जायेगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर ली जायेगी।

निबंधन एवं शर्तें

1. अनुज्ञापी देशी शराब का उठान मूल्य एवं प्रतिफल शुल्क का भुगतान **ई पेमेन्ट के माध्यम से** करने के पश्चात् अनुज्ञापित देशी मदिरा निर्माता आसवनी से करेगा। उत्तर प्रदेश की आसवनियों से मदिरा प्राप्ति की कठिनाई की स्थिति में यह अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की विशेष अनुमति से राज्य के बाहर की आसवनियों से प्रतिफल फीस का पूर्ण भुगतान **ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से** करके देशी मदिरा आयात कर सकेगा। **ऐसा अनुज्ञापिधारी आयातित देशी मदिरा की बोतलों पर आबकारी विभाग, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित सुरक्षा प्रणाली के अनुप्रयोग के अनुसार सुरक्षा कोड चस्पा करने के उपरान्त बिक्री करेगा।**
2. अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित देशी शराब के विहित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य **एवं यथानिर्धारित अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के अलावा कोई अन्य धनराशि** फुटकर लाइसेंस धारकों से प्रभारित नहीं करेगा।
3. थोक विक्रय अनुज्ञापी अपने लाइसेंस की शर्तों के उपबंधों के अधीन देशी शराब का विक्रय जिले के फुटकर अनुज्ञापियों को या अन्य जिलों के फुटकर अनुज्ञापियों को नियम-10 के उप खण्ड (1), (2) व (3) के उपबंधों के अनुसार करेगा।
4. थोक विक्रेता को देशी शराब की आपूर्ति पी0डी0-25अ पास के अधीन होगी। ऐसी समस्त निकासियों के **कम्प्यूटर जनित** पास और अभिलेखों को विहित पंजिका में अनुरक्षित रखा जायेगा।
5. अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में फुटकर विक्रेता से प्राप्त समस्त मांग पत्रों की प्रविष्टि करेगा, जिसमें फुटकर लाइसेंसधारी की मांग, मांग-पत्र प्राप्ति का समय व दिनांक और आपूर्ति की गयी मात्रा सम्मिलित होगी, **और ऐसी सूचनाओं को उ0प्र0 आबकारी आनलाईन डाट इन वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।**
6. अनुज्ञापी अथवा अनुज्ञापी का प्राधिकृत विक्रेता, फुटकर विक्रेता को प्रति दिन देशी शराब की निकासी की प्रविष्टि विहित विक्रय पंजिका व फुटकर विक्रेता की पासबुक में प्रविष्टि की जायेगी **तथा जिसे यथानिर्धारित एम.आई.एस. (मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम) के माध्यम से उ0प्र0 आबकारी आनलाईन डाट इन वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।**
7. देशी शराब के प्रारम्भिक अवशेष, प्राप्ति, बिक्री तथा बंद होने के अधिशेष का दिन प्रतिदिन का विवरण स्टाक रजिस्टर में **प्रतिदिन** अनुरक्षित रखा जायेगा।
8. अनुज्ञापी प्रतिफल शुल्क और अन्य करों आदि को सम्मिलित करते हुये देशी शराब की लागत के साथ मांग पत्र की प्राप्ति के अड़तालिस घंटे के अन्दर देशी शराब की आपूर्ति नियमावली 2002 के निबंधन एवं शर्तों के नियम-8 के अन्तर्गत देने के लिये बाध्य होगा। अनुज्ञापी को देशी शराब आपूर्ति करने में असफल होने की दशा में उसकी प्रतिभूति निक्षेप जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापन निरस्त होने योग्य होगा।
9. अनुज्ञापी प्राप्त दैनिक मांग पत्रों का दुकानवार रजिस्टर और मांग पत्रों के सम्बन्ध में की गयी कुल निकासी का विवरण अनुरक्षित करेगा **तथा आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।**
10. अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा तीन प्रतियों में निर्धारित प्रारूप पर नियम-11 के उपबन्धों के अनुसार परिवहन पास **कम्प्यूटर जनित जारी करेगा**, जिसमें फुटकर विक्रेता का नाम, निकासी का दिनांक तथा समय, क्रय की गयी मात्रा व प्रतिफल शुल्क अंकित होगा।
11. देशी शराब का संचय केवल अनुज्ञापित परिसर में ही किया जायेगा।
12. अनुज्ञापी अनुज्ञापित परिसर में **आबकारी विभाग** द्वारा अनुमोदित **सुरक्षा कोड चस्पा** देशी शराब की बोतलें ही रखेगा व कोई अन्य मादक मदिरा या मादक औषधि अनुज्ञापित परिसर में नहीं रखी जायेगी।
13. अनुज्ञापी अपने कब्जे में कोई अप्राधिकृत मदिरा या मादक औषधि नहीं रखेगा।
14. थोक विक्रेता को शराब अथवा किसी अन्य प्रकार की मदिरा की भराई बोतलों में करने, ब्लेन्ड या रंजित करने की अनुमति नहीं है, और वह अपने कब्जे में इस प्रयोजनार्थ कोई उपकरण नहीं रखेगा।

15. अनुज्ञापी अनुज्ञापित परिसर में रखी बोतलों पर लेबुल, कैप्सूल सील व सुरक्षा कोड चस्पा से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
16. अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किसी अन्य दिवस को छोड़कर बिक्रय के लिये प्रातः 08:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक खुला रखेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/ जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त उल्लिखित कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
17. अनुज्ञापी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट सूचना पट्ट पर अनुज्ञापी का नाम, अनुज्ञापित दुकान की स्थिति, लाइसेंस की अवधि तथा अन्य सूचना जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की गयी हो, मोटे अक्षरों में अंकित करेगा। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-

“अनुज्ञप्त परिसर के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।”
18. अनुज्ञापी निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित समस्त संभव सहायता प्रदान करेगा और समस्त दस्तावेज और अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा।
19. अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा निर्गत ऐसे अन्य सामान्य या विशिष्ट आदेशों का पालन करेगा।
20. लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ-भूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अधिकृत बिक्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 21- अनुज्ञापी को अनुज्ञप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके।
- 22- अनुज्ञापी को गोदाम के परिसर में अग्नि शमन यंत्र लगाये जाने के अलावा सुरक्षा प्रणाली के लिये आवश्यक व्यवस्था करना भी अनिवार्य होगा।
- 23- आसवनियों एवं अन्य प्रदेश की आसवनियों से देशी मदिरा के परेषण के परिवहन हेतु ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम युक्त वाहनों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
- 24- लाइसेंसधारी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर एवं माडल शाप का कोई फुटकर अनुज्ञापन धारण नहीं करेगा।
- 25- दुकानवार, धारिता व तीव्रतावार/ब्राण्डवार तथा पैकेजिंगवार पेट/कांच की बोतलों के उठान का विवरण यथानिर्धारित पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किया जायेगा।
- 26- थोक आपूर्तिक सभी प्रचलित ब्राण्ड की पर्याप्त मात्रा बिक्री हेतु स्टॉक में रखेगा।
- 27- फुटकर अनुज्ञापियों के मांगपत्र का निस्तारण प्रथम आगत प्रथम पावत (फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड) सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा।
- 28- अनुज्ञापी कम से कम एक सप्ताह के स्टॉक के समतुल्य मदिरा का संचय करेगा।
- 29- अनुज्ञापी द्वारा बिक्रय की जाने वाली मदिरा के मूल्य के भुगतान की व्यवस्था इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट प्लेटफार्म यथा-डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, आर0टी0जी0एस0, एन0ई0एफ0टी0 एवं अन्य इसी प्रकार के माध्यमों के साथ-साथ नकद रूप में कराई जायेगी।
- 30- अनुज्ञापी अभिलेखों के रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।
- 31- अनुज्ञप्त गोदाम का फोटो, अक्षांश/देशान्तर, चौहद्दी एवं विक्रेताओं का नाम व पता अनुज्ञा पत्र पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त चस्पा/अंकित कर एक सप्ताह के भीतर अनुज्ञा पत्र की सत्यापित छायाप्रति आयुक्तालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

दिनांक:.....

लाइसेंस प्राधिकारी,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।